

संख्या - ९५० / ७१--२-८२ / २०१७

प्रेषक,

डॉ रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उम्रो शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उम्रो, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-२

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-३/२०१७/४५७ दिनांक २२.०६.२०१७ का कृपया सन्दर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

१. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेंट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तात्काल में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

क्र.पद	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
१	स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०)	०२ वर्ष	रु० १०.०० लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० ज०आ०० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
२	स्नातकोत्तर (एम०डी०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	०२ वर्ष	रु० ४०.०० लाख (डिग्री हेतु) रु० २०.०० लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अधिकारी सविदा प्रवक्ता लथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	₹० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में सेविदा प्रवेष्टा अथवा सेविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	---	---------	------------------	--

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी:-

1. बाण्ड से विचलन की दशा में राष्ट्रनिधि अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० सर्वग्रंथ के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर समर्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाधार्य/निदेशक/कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
3. ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर डिग्री धारक/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा मारिक भानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथारिथ्ति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त सेविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को सेविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार व्ययनित ही जाता है तो राज्यानुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम से बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित द्विपक्षीय बाण्ड में द्वितीय पक्ष श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एग्रीमेण्ट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवरिटी के सक्षम अधिकारी को विकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।
- 3- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:-
संघीय

भवदीय,
(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-९५०(१) / ७१-२-२०१८-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, शा० गुरुखगंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, विकित्सा एवं रक्तस्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज विकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
7. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आ०८०, लखनऊ।
8. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल विकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, घेटर नोएडा।
11. प्रधानाचार्य, समरत राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, विंश० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
12. समस्त मुख्य विकित्साधिकारी, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, विंश० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
13. विकित्सा शिक्षा अनुभाग-१ एवं ४।
14. गार्ड कार्डिल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
उप सचिव।